संख्या-22/2015/सा-3-1067/दस-2015-301(18)/2013

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
3-निदेशक, पेंशन,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4-निदेशक, कोषागार,
जवाहर भवन लखनऊ।
5-समस्त जिलाधिकारी।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 17 दिसम्बर, 2015

विषय:- ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-3-850/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 18 सितम्बर, 2014, संख्या-सा-3-979/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 28 अक्टूबर, 2014, संख्या-15/सा-3-1036/दस-2014-301(18)/2013, दिनॉक 28 नवम्बर, 2014, संख्या-4/2015-सा-3-441/दस-2015-301(18)/2013, दिनॉक 30 अप्रैल, 2015 तथा संख्या-12/2015-सा-3-585/दस-2015-301(18)/2013 दिनॉक24 जून, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली (ई-पेंशन सिस्टम) जनपद उन्नाव एवं बाराबंकी से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की गयी थी जिसके लिये कट-ऑफ-डेट शासनादेश दिनॉक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 निर्धारित की गयी। शासनादेश दिनॉक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा 26 अन्य जनपद जहॉ के कोषागारों को उक्त तिथि तक सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित किया जा चुका था, में ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली लागू की गयी जिसकी कट-ऑफ-डेट शासनादेश दिनॉक 24 जून, 2015 द्वारा 31 अगस्त, 2015 रखी गयी।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सम्प्रति प्रदेश के समस्त कोषागार, सेन्ट्रल सर्वर से संयोजित किये जा चुके है। अत: शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश के समस्त जनपदों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगें।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह निदेश हुआ है कि जिन 28 जनपदों में ऑन लाईन पेंशन प्रणाली पूर्व से लागू है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में दिनॉक 29 फरवरी, 2016 के उपरान्त अर्थात् दिनॉक 01 मार्च, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

5- ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था समस्त संबंधितों अर्थात् प्रदेश के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक एवं अन्य प्राधिकारी जिनके द्वारा ऑन-लाईन पेंशन सिस्टम पर कार्य किया जाना है, द्वारा ससमय कर ली जाये।

6- जवाहर भवन कोषागर, लखनऊ व सिविल लाईन्स कोषागार, इलाहाबाद से सम्बद्ध विभागों / कार्यालयों को सम्प्रति ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली से मुक्त रखा जायेगा अर्थात् इन विभागों / कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही निस्तारित किये जाते रहेंगे। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन विभागों / कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण की वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम त्रैमास से ऑन-लाईन स्वीकृति पेंशन प्रणाली द्वारा निस्तारित किये जायेंगे। अत: संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षित है कि इस हेतु आवश्यक तैयारी अभी से आरम्भ कर दी जाये।

7- दिनॉक 24 जून, 2015 के शासनादेश द्वारा जिन विभागों / कार्यालयों / संवर्गों के सेवानिवृत्त कार्मिकों / के पेंशन प्रकरणों को ऑन-लाईन पेंशन प्रणाली से मुक्त रखा गया है, उनके पेंशन प्रकरण सम्प्रति पूर्व की भॉति ही निस्तारित किये जाते रहेंगे।

8- शासन को अवगत कराया गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने एवं पेंशन प्रकरणों को ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा अग्रसारित किये जाने के कार्य में यथेष्ट रूचि नही ली जा रही है। यह

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सचेत किया जाता है कि पेंशन प्रकरणों को ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली द्वारा अग्रसारित किये जाने में विलम्ब की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अत: इस कार्य को गम्भीरता से लिया जाये।

9- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि जिलाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली मासिक स्टाफ मीटिंग / समीक्षा बैठकों में ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली के क्रियान्वयन का बिन्दु भी सम्मिलित करायें।

10- समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली का प्रयोग करने हेतु अपने स्तर से निर्देश देंगे तथा नियमित अनुश्रवण भी करेंगे।

11- ऑन-लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली का कार्य किये जाने हेतु कई चरणों में विभिन्न प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। समस्त मण्डलीय अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन अपने मण्डल के जनपदों में प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन कर निदेशक, पेंशन एवं एन0आई0सी0 के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम मण्डल / जनपद स्तर पर आयोजित करायेंगे।

12- इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-22/2015/सा-3-1067(1)/दस-2015-19/92, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
4- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in